**भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग -I खंड-I में प्रकाशनार्थ**

**फाइल सं. 6/24/2025-डीजीटीआर**
**भारत सरकार**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग**
**5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**दिनांक: 16 जून 2025**

**जांच शुरूआत अधिसूचना**
**मामला सं. एडी(ओआई) - 21/2025**

विषय: **यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा नाइट्रोटोलुइन (पीएनटी) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।**

1. **फा.सं. 6/24/2025-डीजीटीआर:** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" के रुप में भी कहा गया है) के अनुसार आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा नाइट्रोटोलुइन" (पीएनटी) (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर

पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

## क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पैरा नाइट्रोटोलुइन (पीएनटी) है, जिसे सामान्यत: पैरानाइट्रोटोलुओल, 4-मिथाइलनाइट्रोबेंज़ीन, 1-मिथाइल-4-नाइट्रोबेंज़ीन पी मिथाइलनाइट्रोबेंजीन अथवा 4-नाइट्रोटोलुइन के रूप में भी जाना जाता है। उत्पाद के लिए रासायनिक सार सेवा (सीएएस) पंजीकरण संख्या 99-99-0 है।

4. विचाराधीन उत्पाद मध्यवर्तियों के विनिर्माण के लिए रसायन उद्योग में प्रयुक्त होने वाला एक आधारभूत रसायन है। इन मध्यवर्तियों का ऑप्टीकल ब्राइटनर्स, कलरिंग एजेन्ट्स, फार्मास्युटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में भी प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कृषक और रबड़ रसायनों, एजो और सल्फर रंगों और कपास, ऊन, सिल्क, कागज और चमड़े के डाइस के संश्लेषण में किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 29042050 के तहत आयात किया जाता है।

6. वर्तमान जांच पर संबंधित पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर और प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य सहित) पर अपनी टिप्पणियां (यदि कोई हो) जांच शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालित होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

## ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देश से आयातित और आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विशेषताएं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा माल का टैरिफ वर्गीकरण। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को नियमावली के तहत आयातित उत्पाद के 'समान वस्तु' माना

जाना चाहिए। अत:, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन हेतु, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को, *प्रथम दृष्टया,* संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु समझा जाना चाहिए।

ग. **घरेलू उद्योग और आधार**

8. आवेदन को आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में एक अन्य उत्पादक भी है - दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह कहा गया है कि आवेदक ने संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

9. रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन घरेलू उत्पादन के प्रमुख समानुपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए यह नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर "घरेलू उद्योग" स्थापित करता है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मापदंड को संतुष्ट करता है।

घ. **जांच की अवधि**

10. जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 महीने) है। क्षति की जांच अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि है।

ड. **कथित पाटन का आधार**

**यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य**

11. आवेदक ने यह दावा किया है कि उनकी संबद्ध देश में बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। इसलिए, आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ विधिवत समायोजित, एक उचित लाभ मार्जिन सहित, उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य की संगणना करने का प्रस्ताव रखा है।

**निर्यात कीमत**

12. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम डेटा में रिपोर्ट किए गए अनुसार, विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों और अंतर्देशीय मालभाड़ा व्ययों के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

**पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है जो *प्रथमदृष्टया* स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए, इसके पर्याप्त *प्रथमदृष्टया* प्रमाण है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

**च. क्षति और कारणात्मक संबंध**

14. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही क्षति के संबंध में *प्रथम* दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे प्रतिकूल मूल्य प्रभाव के कारण क्षति हुई है। यह भी दावा किया गया है कि घरेलू कीमतों में कथित रूप से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कथित रूप से ह्रास हुआ है। जांच की अवधि में, आवेदक ने वित्तीय हानियों, नकद हानियों तथा नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय का सामना किया है। पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण उल्लेखनीय क्षति होने के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* प्रमाण हैं।

**छ. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>**

15. आवेदक द्वारा दाखिल किए गए विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, जो संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के ऐसे कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई

क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हैं और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में संबद्ध देश से किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. <u>प्रक्रिया</u>

16. वर्तमान जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

झ. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

17. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in को ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किए गए अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

18. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध होने के लिए जाने जाते हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सारी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सके। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से इस

जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच के संबंध में अनुरोध कर सकता है।

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

21. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें और इस जांच से संबंधित जानकारी तथा आगे की प्रक्रियाओं से अवगत होते रहें।

## ञ. समय सीमा

22. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से तीस दिन (30 दिन) के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे मौजूदा जांच में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर/ अनुरोध दाखिल करें।

24. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

## ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25 जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

26. ऐसे अनुरोध के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। बिना ऐसे अंकन के प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसे सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय प्रकृति की बताया जाता है अथवा ऐसी सूचना जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उपयुक्त कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए अथवा (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो), वहां पर खाली छोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसी सूचना को, ऐसी सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षिप्त किया जाना चाहिए, जिसके गोपनीय होने का दावा किया जाता है।

29. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पाटनरोधी नियमावली,1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित

स्पष्टीकरण के साथ कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्रदान किए जाने चाहिए।

30. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदक द्वारा अनुरोधों में दावा किए गए गोपनीयता से संबंधित मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

31. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और उपयुक्त कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

32. प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध उचित है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

33. प्राधिकारी द्वारा, प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं किया जाएगा।

## ठ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का गोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

## ड. <u>असहयोग</u>

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते

हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ 16/6/25

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी